

राजस्व लोक अदालत ( न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- सोनडी  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 350 सन 2012

अनवान :-

1. श्योचन्द पुत्र कुरडाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. वन विभाग राजस्थान सरार जरिये डी.एफ.ओ. हनुमानगढ वनविभाग राजस्थान सरकार जरिये रेन्जर वन विभाग।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 10.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " ( न्याय आपके द्वार - 2018" ) में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 683/646 के खसरा न0 863/1.391हैक् , 865/0.885हैक् , 877/0.873हैक् , 867/10.003हैक् जिसमें खसरा न0 867/10.003हैक् जिसमें से 1.771हैक् व खसरा न0 865/0.885हैक् कुल 2.656हैक् भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

उक्त भूमि वादी के दादा रूपाराम द्वारा नोताड करदा भूमि है जिसका लगान वादी के दादा रूपाराम के द्वारा अदा किया गया है वादी के दादा रूपाराम की नोतोड की गई भूमि है पूर्व में भूमि जोहडी जो कुम्भा की जोहडी के नाम से जानी जाती थी जिसका खसरा बहुत बडा था जिसमें ग्राम सोनडी एवं मेधसिहपुरा के लोगो ने काश्त करने आरम्भ कर दी फिर राजस्व विभाग के द्वारा पायतन दर्ज कर दी परन्तु वाद भूमि वादी के कब्जा काश्त में होने के कारण गिरदावरी वादी के पक्ष में होती रही है जिसकी तावान राशि वादी के द्वारा सम्वत 2012 से आज तक अदा करता आ रहा है वादी के 57 साल से अधिक कब्जा काश्त में होने के कारण वादी प्रतिकुल कब्जा के आधार पर भी खातेदार काश्तकार हो गया है वाद भूमि का कब्जा कभी भी प्रतिवादी संख्या 2 को नहीं सौपा गया वादी की आजीविका का एक मात्र साधन वाद भूमि ही है वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है प्रतिवादी संख्या 2 वाद भूमि अपने नाम दर्ज होने के कारण वादी का वाद भूमि से बेदखल करने पर उतारू है जिससे वादी के हकों का हनन होता है वादी के कब्जा काश्त के कारण वादी उक्त भूमि पर आवंटन अथवा नियमन करवा पाने का पात्र था भु0प्रबन्ध विभाग के द्वारा किया गया इन्द्राज गैरकानुनी है जिसे दुरुस्त करवाने के अधिकारी है।


वाद भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं वादी ने वाद भूमि का काफी उपजाउ बना रखा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वन विभाग प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रहने से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वादी का वाद भूमि से बेदखल करने पर आमाद है जिससे वादी के हकों का हनन होता है इसलिये वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खसरा न0 867/10.003हैक् में से 1.771हैक् , व खसरा न0 865/0.885हैक् कुल 2.656हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को पाबन्द किया जावे की वह वादी के कब्जा काश्त में दखल नहीं करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी संख्या 1 परोकार राज ने जबाब पेश किया की प्रश्नगत भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वनविभाग के नाम से दर्ज है वाद भूमि वादी को कभी आवंटन नहीं की गई ना ही वादी का वाद भूमि में किसी प्रकार का अधिकार है वादी राजकीय भूमि पर अतिक्रमी था जिसे समय समय पर बेदखल किया जाता रहा है प्रश्नगत भूमि प्रबन्धित श्रेणी की भूमि है जिसमें वादी पाने का अधिकारी नहीं है ना ही वादी को आवंटित की जा सकती है वाद वादी खारिज किया जावे।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर उभयपक्षों को सुना गया वादी ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की है जिस पर वादी का कोई अधिकार नहीं है ना ही वादी को आवंटन की जा सकती है।

हमने उभयपक्षों को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया वादी का कथन है कि वाद भूमि नोतोड करदा है जो सम्वत 2002 से कब्जा काश्त में चली आ रही जिसका वह खातेदार हो चुका है वादी ने अपने कथनों की ताईद में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके की वाद भूमि वादी या उसके पूर्वजों के द्वारा नोतोड करना साबित होता हो ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे यह साबित हो सके की भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत अंकन किया गया हो मात्र वादी का कथन मात्र है कथनों के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रश्नगत भूमि पूर्व में राजस्व रिकार्ड अराजीराज थी जिस पर वादी या वादी के पूर्वजों के द्वारा अतिक्रमी की हैसियत से काश्त की गई हो सकती है जिसे तहसीलदार नोहर के द्वारा बेदखल किया जाकर राजकीय भूमि का कब्जा लिया गया है अतिक्रमी की हैसियत से काश्त करने पर गिरदावरीयों में काश्त दर्ज हो सकती है जिससे वाद भूमि पर वादी का कोई अधिकार साबित नहीं होता है प्रश्नगत भूमि का पानी समीपस्त जोहड में जाना प्रतित होता है जिसे वादी के द्वारा भी जोहड होना स्वीकार किया है जिसके कारण भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा राजस्व रिकार्ड में गौचर/जोहड पायतन दर्ज किया गया है जिसे श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 3180 दिनांक 15.03.1979 के द्वारा वन विभाग को आवंटन करने पर प्रश्नगत भूमि वन विभाग के नाम से दर्ज हुई है अर्थात् भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा सहवन से वनविभाग के नाम दर्ज नहीं की जाकर जिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश से दर्ज हुई है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि वनविभाग के नाम से दर्ज है जिसके कारण प्रश्नगत भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है जिसके सम्बन्ध में वादी किसी प्रकार की धोषणा/अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी का वाद साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

  
 शिविर प्रसादी  
 राजस्व लोक दालत-2018  
 उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
 नोहर ( हनुमानगढ )  
 कैम्प कोट-सोनडी

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

राजस्व लोक अदालत ( न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-सोनडी

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी ( आर.ए.एस)

अनवान :-

अनवान :-

1. श्योचन्द पुत्र कुरडाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

### बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. वन विभाग राजस्थान सरार जरिये डी.एफ.ओ. हनुमानगढ वनविभाग राजस्थान सरकार जरिये रेन्जर वन विभाग।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**राजस्व वाद संख्या 350 सन 2015 निर्णय दिनांक-10.05.2018**

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

  
शिविर प्रभास  
राजस्व लोक दालत-2018  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
कैम्प कोट-सोनडी